20रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(118)

समक्ष माननीय अध्यक्ष म0 प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र.निगरानी – /पीबीआर/2018 भोपाल

1. हरिकिशनं आ0 श्री मुशीलाल निगरानी–3989/2018/भोपाल/भू.रा
2. सुजानसिहं आ0 श्री हरकिशन
3. फूलसिहं आ0 श्री हरकिशन
4. रामगोपाल आ0 श्री गुलाबसिहं
5. हमीर आ0 श्री शिवचरन

निवासीगण ग्राम रतनपुर तहसील हुजूर
जिला भोपाल म0प्र0 .....आवेदकगण

आवेदक अभिभाषक श्री प्रेमसिंह ठाकुर द्वारा भोपाल कैम्प में प्रस्तुत 29/5/18

entry (12)

विरूद्व

1. राजस्व निरीक्षक महोदय
राजस्व निरीक्षक मण्डल वृत–4 तहसील हुजूर
जिला भोपाल म0प्र0
2. रामेश्वर आ0 राधेश्याम
3. नानीबाई पुत्री राधेश्याम

निवासी ग्राम रतनपुर तहसील हुजूर
जिला भोपाल म0प्र0 .....अनावेदकगण

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान राजस्व निरीक्षक मण्डल–4 तहसील हुजूर जिला भोपाल म0प्र0 द्वारा उनके प्रकरण क्र. 168/अ–12/17–18 में किये गये विवादित सीमांकन में पारित आदेश दिनांक 03/05/18 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रतनपुर तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्0 423, 427, 689/2, 690/1, 690/2 एवं खसरा क्0 691 कुल रकवा 13.00 एकड भूमि राजस्व रिकार्ड में अनावेदक क्0 1 व 2 के नाम पर दर्ज है। अनावेदकगण क्0 2 व 3 कि भूमि लगी हुई आवेदकगण एवं अन्य व्यक्तियो की भूमि है । अनावेदक क्0 2 व 3 ने अनावेदक क्0 1 के समक्ष उक्त भूमि के सीमांकन किये जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अनावेदक क्0 1 ने अनावेदक क्0 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर प्र.क्र. 168/अ–12/17–18 पंजीबद्ध कर अनावेदक क्0 2 व 3 की भूमि का सीमांकन किये जाने के सबन्ध में दिनांक 25/04/2018 के सूचना पत्र जारी किये गये । परन्तु दिनांक 25/04/2018 को मौके पर सीमांकन कि कार्यवाही नही कि गयी। हल्का पटवारी द्वारा पुनः दिनांक 26/04/2018 को सूचना पत्र जारी करते हुए सीमांकन हेतु 09/05/2018 कि तिथि कि गयी। परन्तु मौके पर नियत तिथि से पुर्व ही दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3989/2018/भोपाल/भू-रा. जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त-4 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त-4 तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 15-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । रीडर अध्यक्ष	